मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड,
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

पुर्नविज्ञापन

प्रदेश के 45 विकास खण्डों एवं 02 जिले में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने का सुनहरा अवसर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ जोड़े

क्रमांक :— ऊविनि/अ.ऊ.शॉ./2014—15/2949 **दिनांक 27.12.2014**

यदि आप उद्यमी है, शुरू करना चाहते है स्वयं का व्यवसाय अथवा जोड़ना चाहते है अपने व्यवसाय के साथ तो अपना योगदान अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों की स्वयं की दुकान खोलकर कर सकते है व पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ा सकते है जिस हेतु 45 विकास खण्डों एवं संभागीय स्तर के 02 जिलों हेतु म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम की ओर से प्रोत्साहन राशि एवं रिकरिंग ग्रांट, योजना की शर्तो अनुसार, रूपये दस हजार प्रतिमाह के मान से एक वर्ष हेतु दिया जावेगा एवं समय—समय पर आवश्यकतानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, द्वारा विभिन्न संयत्रों के रखरखाव व अन्य कार्यो को भी सम्पादित करवाया जा सकता हैं

विस्तृत शर्ते 45चयनित विकास खण्डों की सूची एवं 02 जिलों की सूची व अन्य जानकारी हेतु हमारे बेवसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें।	**ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल** **दूरभाष—0755 2553595, 2572804, फैक्स—0755 2553122** **e-mail - cmpuvn@bsnl.in** **Websit - www.mprenewable.nic.in**	**आवेदन प्रपत्र क्रय एवं जमा करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2015 एवं 20 जनवरी 2015**

योजना संबंधी संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन प्राप्ती एवं जमा करने हेतु संपर्क करे।

जिला कार्यालय — बालाघाट 9827299722, सिवनी 9425147628, शाजापुर 9229924836, गुना 07542—252822, 9300607671, खण्डवा एवं बुरहानपुर 0733—2233061, 9584784884, विदिशा 9893044853 उज्जैन 0734—2517872, 9425365774 नरसिंहपुर 9424704394 ग्वालियर एवं शिवपुरी 0751—2341608, 9826226541, सिंगरौली 9406534414, सागर एवं दमोह 07582 232529, 9893247968, देवास 9229924836, रतलाम 07422—255873,9827222217, राजगढ़ 9893845962, खरगोन एवं बड़वानी — 9827502858, दतिया — 9826999049, सिहोर — 9425068439, मुरैना एवं श्योपुर — 9425116205, मण्डला —9425384060

प्रबंध संचालक

45 विकास खण्डों में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने हेतु विज्ञापन एवं अन्य आवश्यक शर्ते

विज्ञापन के अन्तर्गत चयन किए जाने वाले निजी अक्षय ऊर्जा शॉप विकास खण्डों की सूची

क्र.	वि.खण्ड	जिला
1	शांहगढ़	सागर
2	मालथोन	सागर
3	खुरई	सागर
4	कुंभराज	गुना
5	आरोन	गुना
6	लटेरी	विदिशा
7	पिपलौदा	रतलाम
8	बाजना	रतलाम
9	बदरवास	शिवपुरी
10	पोहरी	शिवपुरी
11	घाटीगाँव	ग्वालियर
12	घटिया	उज्जैन
13	महिदपुर	उज्जैन
14	पुनासा	खण्डवा
15	छैगांव माखन	खण्डवा
16	पंधाना	खण्डवा
17	हरसूद	खण्डवा
18	खालवा	खण्डवा
19	बलड़ी (किल्लौद)	खण्डवा
20	खकनार	बुरहानपुर
21	धनौरा	सिवनी
22	कालापीपल	शाजापुर
23	जबेरा	दमोह
24	पटेरा	दमोह
25	बठियागढ़	दमोह
26	जीरापुर	राजगढ़
27	नरसिंहगढ	राजगढ़
28	खिलचीपुर	राजगढ़
29	चिंतरगी	सिंगरौली
30	देवसर	सिंगरौली
31	टोंकखुर्द	देवास
32	कन्नौद	देवास
33	परसवाड़ा	बालाघाट
34	सेंधवा	बड़वानी
35	ठिकरी	बड़वानी
36	निवाली	बड़वानी
37	राजपुर	बड़वानी
38	सेगॉव	खरगोन
39	गोगॉवा	खरगोन
40	भाण्डेर	दतिया
41	सांईखेड़ा	नरसिंहपुर
42	गोटेगॉव	नरसिंहपुर
43	बुधनी	सिहोर
44	पोरसा	मुरैना
45	विजयपुर	श्योपुर

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0

(राज्य शासन का उपक्रम)

''ऊर्जा भवन'', मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

विकास खण्ड..................जिला ....में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन पत्र एवं विवरण

//आवेदन पत्र//

1	आवेदक का नाम	....
2	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करे)	....
3	शॉप का नाम एवं लोकेशन (मार्केट का पता)	....
4	शॉप का विवरण (स्वयं/किराये पर/लीज पर) (दस्तावेज संलग्न करे)	....
5	क्षेत्रफल.....................(नक्शा इत्यादि)	................................वर्गफिट
6	भंडारण क्षमता.........................(नक्शा इत्यादि)	................................वर्गफिट
7	पूर्व वर्ष में टर्नओव्हर (अन्य व्यवसाय से)	....
8	कम से कम 2 कर्मचारी उनमे से 1 तकनीकी के रूप में दक्ष हो। संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु	....
9	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न औव्हर के साथ दस्तावेज संलग्न करें	....
10	सुविधाऍ टेलीफोन इत्यादि दस्तावेजों की सूची संलग्न करें	....

आवेदक के हस्ताक्षर

//घोषणा//

मेरे द्वारा म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्ते पढ़ ली गयी हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तो के अनुरूप है व मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500 मात्र

पूरा पता ....

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेवसाइड से डाउनलोड करने पर रूपये 500 का डी.डी. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0 के पक्ष में संबधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त आवेदन के साथ संलग्न एपेंडिक्स 3(बी) व अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें।

प्रपत्र–3(बी)

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र

1 प्रस्तावित शॉप का नाम –

2 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता –

3 शॉप स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम –

4 आवेदित व्यक्ति का वर्तमान पता, दूरभाष, फैक्स एवं ई–मेल –

5 आवेदित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता –

6 आवेदित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता –

7 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :

- क्या शॉप कंस्ट्रेक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/लीज/किराये पर है
- प्रस्तावित करपेट एरिया (वर्ग फीट)
- प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट)
- शॉप को स्थापित करने पर संभावित व्यय का विवरण (आईटम वार)
- बैंक/संस्था से ऋण का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैने म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्ते पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तो के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल –
दिनांक –

(अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु आवेदनकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर)

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु दिशा–निर्देश

1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :

- विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों का विक्रय।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों की मरम्मत,रखरखाव एवं सर्विसिंग।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उत्पादों का प्रचार–प्रसार।
- अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।

2 शॉप हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।

3 शॉप शहर के व्यावसायिक मुख्य स्थल पर होना चाहिये।

4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।

5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।

6 शॉप व्यवसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटिंग इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, एल.ई.डी. लाईटिंग, हाई इफीशियेंसी केरोसिन स्टोव्ह, बायोमास कुक स्टोव्ह इत्यादि विक्रय किये जा सकते है।

7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयत्रं जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये है उन्हे भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।

8 शॉप द्वारा प्रतिष्ठत निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।

9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।

अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्ते

1 विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तह्त केवल एक व्यक्ति/संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होगें।

2 पूर्व में जिन व्यक्तियों को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तहत म0प्र0 के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होगे।

3 उल्लेखित विकास खण्ड के मुख्य व्यवसायिक स्थल में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है। निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के व्यावसायिक स्थल का निर्णय गठित समिति निरीक्षण पश्चात करेगी।

4 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाऐ भी उक्त शर्तो का भाग होगी।

5 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टाक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा जिसकी सूची संलग्न है।

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का निम्नानुसार परिपालन आवश्यक होगा।

1. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्टेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपआनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टाक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन–देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन–देन की राशि आहरित एवं जमा की जा सकेगी।

   विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपओनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन–देन निगम का नही माना जावेगा।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखों का निरीक्षण समय–समय पर डी.आर.ई.ओ. /लेखा प्रभारी द्वारा किया जावेगा एवं इनका मासिक अंकेक्षण चार्टड एकाउटेन्स से कराकर प्रतिवेदन डी.आर.ई.ओ. को देगा एवं डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय में संबंधित कक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।
11. परिशिष्ट III D में अंकित विवरण भरकर संबंधित डी.आर.ई.ओ., शॉप औनर एवं चार्टड एकाउन्टेड के हस्ताक्षर उपरांत मुख्यालय के संबंधित कक्ष को प्रेषित किया जावेगा उक्त शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय–समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
12. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।

विकास खण्ड स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

क्र.	विवरण	अंक
1	स्वयं की शॉप	10
2	न्यूनतम 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल शॉप	20
3	भण्डारण क्षमता 100 वर्ग फीट शॉप के अलावा	10
4	मुख्य व्यावसायिक स्थल में शॉप	15
5	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा से संबंधित कार्य किया जा रहा है	15
6	विगत 3 वर्षो का टर्न औव्हर अन्य व्यवसाय से	5
7	कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु)	15
8	सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य	10
	कुल	**100**

टीप – 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होगें।
2 यदि कुल प्राप्तांक (परीक्षण उपरांत) सामान होते है तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।
3 उपरोक्तानुसार अंको की प्राप्ती के सत्यापन हेतु उल्लेखित बिन्दुवार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विकास खण्ड स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में प्रदर्शन हेतु संयत्रों/उपकरणों की न्यूनतम स्टाक सूची

1	सोलर कुकर	विभिन्न माडल के 1–2 नग
2	सौर गरम जल संयत्रं न्यूनतम 100 लीटर क्षमता	1 नग ETC 1 नग Flate Plate
3	सोलर लालटेन न्यूनतम दो माडल एक CFL, एक LED	2 नग
4	सोलर होम लाईट संयत्र 2/3 CFL	1 नग
5	ऊर्जा दक्ष उपकरण CFL, LED एवं अन्य	न्यूनतम 4–5 नग
6	सोलर स्ट्रीट लाईट	1 नग
7	उपरोक्त के अलावा अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरण	विभिन्न माडल के न्यूनतम 1–2 नग प्रत्येक

म0प्र0 अक्षय ऊर्जा शॉप योजना (विकास खण्ड स्तरीय शॉप)

उद्देश्य :

प्रदेश में बिजली की माँग एवं प्रदाय के बीच के अंतर को कम करने के लिए, गांव–गांव एवं आम जनता तक विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे–सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सौर गर्म जल संयत्र, सौर लाईट इत्यादि पहुंच सके, व इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक विकास खण्डो पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने की योजना है। विकास खण्ड स्तर पर निजी शॉप खुलने से जहाँ एक ओर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आम जनता लाभान्वित होगी वही दूसरी ओर रोजगार की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

लाभ :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेगें।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियो को संयत्रों व नई–नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

संचालन एवं क्रियान्वयन :

- राज्य शासन की मंशा के अनुरूप, विकास खण्ड स्तर पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम दुकानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें एवं प्राप्त प्रस्तावो को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन किया जायेगा।
- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते है अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते है।

आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी।
- शॉप स्वयं/लीज/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की दुकान एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।
- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य मे दक्ष हो।
- स्वयं का टेलीफोन होना अनिवार्य है।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालो को प्राथमिकता।

राज्य शासन द्वारा वित्तीय प्रावधान :

- प्रस्तावित निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के स्थापित होने के उपरान्त 01 वर्ष तक के लिए राज्य शासन का वित्तीय प्रावधान होगा एवं योजना के मूल्यांकन के पश्चात् प्रभावकारी पाए जाने पर अगले और 01 वर्ष हेतु वित्तीय प्रावधान जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।
- प्रथम वर्ष में न्यूनतम रू. 30,000/– प्रतिमाह के टर्न ओवर पर रू. 5000/– प्रोत्साहन राशि व रू. 5000/– रिकरिंग ग्रांट प्रतिमाह, शॉप खुलने की तिथि से 01 वर्ष तक दी जावेगी।
- रिकरिंग ग्रांट से तात्पर्य, अक्षय ऊर्जा शॉप के अन्तर्गत मैनपावर, बिजली, टेलीफोन एवं अन्य विविध व्यय की प्रतिपूर्ति से है।
- यदि प्रथम वर्ष में अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर र्निधारित न्यूनतम रू. 30,000/– प्रतिमाह, किसी माह में नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित शॉप को उस माह की प्रोत्साहन रााशि की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि तीन माह का टर्न ओवर न्यूनतम रू. 45,000/– है तो सम्बन्धित शॉप रिकरिंग ग्रांट हेतु पात्र होंगी।
- निर्धारित प्रपत्र पर शर्तो के अनुसार, टर्न ओवर प्रेषित करने व सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक 03 माह पश्चात, प्रोत्साहन राशि व रिकरिंग ग्रांट की पात्रता होगी।
- ग्रामीण इलाको में व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए रू. 10,000/– प्रति शॉप का प्रावधान होगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम को सेवा शुल्क के रूप में रू. 10,000/– प्रति शॉप का प्रावधान होगा जो योजना के विकास खण्ड स्तर पर संचालन/क्रियान्वयन इत्यादि में व्यय होगा।

- उक्त विकास खण्डों के शॉप संचालको एवं उनके तकनीकी कर्मियो इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु रू. 5,000.00 प्रति शॉप का प्रावधान होगा। पूर्व में स्वीकृत 100 विकास खण्डों हेतु प्रशिक्षण के राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी अतः उक्त विकास खण्डो को सम्मिलित करते हुए कुल 263 (163+100) विकास खण्डों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

<u>योजना की समीक्षा</u> :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। जिन विकास खण्डो में अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर, निर्धारित से भी कम है उन शॉप्स को चिन्हित किया जाकर, निगम द्वारा कारणों की समीक्षा की जायेगी व तद्नुसार निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश में संभागीय स्तर के 02 जिलों में 02 अतिरिक्त निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने हेतु विज्ञापन एवं अन्य आवश्यक शर्ते

02 जिले एवं स्थल की सूची जहाँ निजी अक्षय ऊर्जा शॉप स्थापित की जानी है

क्र.	जिला	व्यावसायिक मुख्य स्थल (लोकेशन)
1	उज्जैन	सेठी नगर (गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड) दशहरा मैदान
2	ग्वालियर	ठाठीपुर – मुरार क्षेत्र

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0

(राज्य शासन का उपक्रम)

''ऊर्जा भवन'', मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

संभागीय जिला ....में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन पत्र एवं विवरण

//आवेदन पत्र//

1	आवेदक का नाम	....
2	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करे)	....
3	शॉप का नाम एवं लोकेशन (मार्केट का पता)	....
4	शॉप का विवरण (स्वयं/किराये पर/लीज पर) (दस्तावेज संलग्न करे)	....
5	क्षेत्रफल.....................(नक्शा एवं दस्तावेज इत्यादि)	................................वर्गफिट
6	भंडारण क्षमता.........................(नक्शा एवं दस्तावेज इत्यादि)	................................वर्गफिट
7	पूर्व वर्ष में टर्नओव्हर अन्य व्यवसाय से (दस्तावेज संलग्न करे)	....
8	कम से कम 2 कर्मचारी उनमे से 1 तकनीकी रूप से दक्ष संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु (तकनीकी प्रमाण पत्र संलग्न करे)	....
9	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न औव्हर के साथ दस्तावेज संलग्न करें	....
10	सुविधाएँ – टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स इत्यादि (दस्तावेज व सूची संलग्न करें)	....

आवेदक के हस्ताक्षर

//घोषणा//

मेरे द्वारा म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्ते पढ़ ली गयी हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तो के अनुरूप है व मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 1000 मात्र **पूरा पता ....**

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेवसाइड से डाउनलोड करने पर रूपये 1000 का डी.डी. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि0 के पक्ष में संबधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त आवेदन के साथ संलग्न एपेंडिक्स 3(बी) व अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें।

प्रपत्र–3(बी)

संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र

1 प्रस्तावित शॉप का नाम –

2 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता –

3 शॉप स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम –

4 आवेदित व्यक्ति का वर्तमान पता, दूरभाष, फैक्स एवं ई–मेल –

5 आवेदित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता –

6 आवेदित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता –

7 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :

- क्या शॉप कंस्ट्रेक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/लीज/किराये पर है
- प्रस्तावित कवर्ड एरिया (वर्ग फीट)
- प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट)
- शॉप को स्थापित करने पर संभावित व्यय का विवरण (आईटम वार)
- बैंक/संस्था से ऋण का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैने म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्ते पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तो के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल –
दिनांक –

(अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु आवेदनकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर)

जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु दिशा–निर्देश

1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :

- विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों का विक्रय।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों की मरम्मत,रखरखाव एवं सर्विसिंग।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उत्पादों का प्रचार–प्रसार।
- अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।

2 शॉप हेतु न्यूनतम 200 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।

3 शॉप शहर के व्यावसायिक मुख्य स्थल पर होना चाहिये।

4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।

5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।

6 शॉप व्यवसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटर, सोलर मल्टी परपज लैम्प, सोलर टार्च, सोलर मोबाईल चार्जर इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, एल.ई.डी. लाईटिंग, हाई इफीशियेंसी केरोसिन स्टोव्ह, बायोमास कुक स्टोव्ह इत्यादि विक्रय किये जा सकते है।

7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयत्रं जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये है उन्हे भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।

8 शॉप द्वारा विभिन्न निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।

9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।

11 शॉप द्वारा 8'×3' आकार का ग्लोसाइन बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य होगा जिस पर शॉप के नाम के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप लिखा होना आवश्यक है।

12 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टाक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा जिसकी सूची संलग्न है तथा विक्रय हेतु स्कंध पृथक से रखना होगा।

अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्ते

1 संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तह्त केवल एक व्यक्ति/ संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होगें।

2 पूर्व में जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार/विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तह्त म0प्र0 के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होगे।

3 उल्लेखित जिलें के मुख्य व्यवसायिक स्थल (अधिकतम आधा किलो मीटर परिधि) में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है। निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के व्यावसायिक स्थल का निर्णय गठित समिति निरीक्षण पश्चात करेगी।

4 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाऐ व शर्ते भी उक्त शर्तो का भाग होगी।

संभागीय जिला स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में प्रदर्शन हेतु संयत्रों/उपकरणों की न्यूनतम स्टाक सूची

1	सोलर कुकर	विभिन्न माडल के 1–2 नग
2	सौर गरम जल संयत्रं न्यूनतम 100 लीटर क्षमता	1 नग ETC 1 नग Flate Plate
3	सोलर लालटेन न्यूनतम दो माडल एक CFL, एक LED	2 नग
4	सोलर होम लाईट संयत्र 2/3 CFL & LED	1 नग
5	ऊर्जा दक्ष उपकरण CFL, LED एवं अन्य	न्यूनतम 4–5 नग
6	सोलर स्ट्रीट लाईट LED	1 नग
7	उपरोक्त के अलावा अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे बायोमास कुक स्टोव्ह, सोलर टार्च, सोलर मोबाईल चार्जर, सोलर मल्टी परपज लैम्प इत्यादि	विभिन्न माडल के न्यूनतम 1–2 नग प्रत्येक

संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाए

2. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्टेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपआनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टाक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन-देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन-देन की राशि आहरित एवं जमा की जा सकेगी।

   विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपओनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन-देन निगम का नही माना जावेगा एवं किसी भी उपकरण/संयत्र के विक्रय के समय/विक्रय पश्चात् दरो एवं शिकायत के संबंध में शॉप संचालक पूर्ण रूप से उत्तरदाई होगें।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ. /लेखा प्रभारी द्वारा किया जावेगा एवं इनका मासिक अंकेक्षण चार्टड एकाउटेन्स से कराकर प्रतिवेदन डी.आर.ई.ओ. को देगा एवं डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय में संबंधित कक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।
11. परिशिष्ट III D में अंकित विवरण भरकर संबंधित डी.आर.ई.ओ., शॉप औनर एवं चार्टड एकाउन्टेड के हस्ताक्षर उपरांत मुख्यालय के संबंधित कक्ष को प्रेषित किया जावेगा उक्त शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
12. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए गए/किए जाने वाले आदेशों का पालन करना होगा।

जिला स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

क्र.	विवरण	अंक
1	स्वयं की शॉप	10
2	न्यूनतम 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल शॉप	20
3	भण्डारण क्षमता 200 वर्ग फीट शॉप के अलावा	10
4	मुख्य व्यावसायिक स्थल में शॉप	15
5	यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा से संबंधित कार्य किया जा रहा है	15
6	विगत 3 वर्षो का टर्न औव्हर अन्य व्यवसाय से	5
7	कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु)	15
8	सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य	10
	कुल	**100**

टीप – 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होगें।

2 यदि दस्तावेजों व स्थल के सत्यापन पश्चात् कुल प्राप्तांक सामान होते है तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।

3 उपरोक्तानुसार अंको की प्राप्ती के सत्यापन हेतु उल्लेखित बिन्दुवार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

<u>संभाग स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप योजना</u>

<u>उद्‌देश्य</u> :

शहरीय क्षेत्रों का आकार एवं क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण तथा ऊर्जा की खपत बढ़ने के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई कि संभागीय स्तर के जिलो में (नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित 01 शॉप के अतिरिक्त) अक्षय ऊर्जा शॉप का विस्तार किया जावे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष संयत्रों/उपकरणों से लाभ प्राप्त हो सके तथा उन्हे संयत्र/उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी उद्‌देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संभागीय स्तर के जिलों में अतिरिक्त रूप से निजी अक्षय ऊर्जा शॉप प्रस्तावित है।

<u>संभागीय जिले के अंतर्गत अतिरिक्त शॉप</u> :

संभागीय स्तर के जिलों में 01–01 शॉप, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व से ही संचालित है। संभागीय जिले व उनके तहत निजी अक्षय ऊर्जा शॉप को उनके आकार व क्षेत्रफल तथा आवश्यकतानुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है।

1. भोपाल	–	04 शॉप
2. इंदौर	–	04 शॉप
3. ग्वालियर	–	02 शॉप
4. जबलपुर	–	02 शॉप
5. रीवा	–	01 शॉप
6. उज्जैन	–	01 शॉप
7. सागर	–	01 शॉप
कुल		15 शॉप

<u>लाभ</u> :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेगें।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियो को संयत्रों व नई–नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

संचालन एवं क्रियान्वयन :

- निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।

- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम दुकानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तह्त किया जावेगा।

- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें एवं प्राप्त प्रस्तावो को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन किया जायेगा।

- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते है अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते है।

- स्थल का चयन शहर के अलग–अलग क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार किया जावेगा जिससे आम–जन को अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष संयत्र/उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकें।

आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 200 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी।

- शॉप स्वयं/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।

- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य मे दक्ष हो।

- स्वयं का टेलीफोन होना अनिवार्य है।

- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालो को प्राथमिकता।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 :

संभागीय स्तर पर अतिरिक्त 15 निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का चयन कर क्रियान्वित किया जावेगा। किसी कारणवश निर्धारित लक्ष्य से कम निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का चयन होने से अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 में उन्हे सम्मिलित किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान :

- प्रस्तावित निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के स्थापित होने के उपरान्त 01 वर्ष तक के लिए म0प्र0 शासन द्वारा आवंटित बजट के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान होगा।

- प्रथम वर्ष में न्यूनतम रू. 50,000/– प्रतिमाह के टर्न ओवर पर रू. 5000/– प्रोत्साहन राशि व रू. 5000/– रिकरिंग ग्रांट प्रतिमाह दी जावेगी।
- रिकरिंग ग्रांट से तात्पर्य, अक्षय ऊर्जा शॉप के अन्तर्गत मैनपावर, बिजली, टेलीफोन एवं अन्य विविध व्यय की प्रतिपूर्ति से है।

- यदि अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर र्निधारित न्यूनतम रू. 50,000/– प्रतिमाह, किसी माह में नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित शॉप को उस माह की प्रोत्साहन रााशि की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि 06 माह का टर्न ओवर न्यूनतम रू. 150,000/–है तो सम्बन्धित शॉप रिकरिंग ग्रांट हेतु पात्र होंगी।

- निर्धारित प्रपत्र पर टर्न ओवर प्रेषित करने व सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक 06 माह पश्चात, प्रोत्साहन राशि व रिकरिंग ग्रांट की पात्रता होगी।

योजना की समीक्षा :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। न्यूनतम टर्न ओवर वाली अक्षय ऊर्जा शॉप को चिन्हित किया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमाह टर्न ओवर लक्ष्य नहीं प्राप्त करने के कारणों की समीक्षा की जायेगी।